

**:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::**

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के **निम्नांकित** शिक्षा अधिकारियों (प्रधानाचार्य-राउमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-रामावि एवं समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारी) को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके द्वारा **(60 वर्ष की)** अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित **सेवानिवृत्ति-तिथि से**, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्रं.	नाम कार्मिक मय पद (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री/कु0...)	पदस्थान स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्रीमती पुष्पा ठकराल, प्रधानाध्यापिका	रामावि0 नन्दराम की ढाणी, हनुमानगढ	25-10-1956	31-10-2016
2	श्रीमती सूर्यकान्ता पंचाल अनुसंधान अधिकारी समकक्ष प्रधानाचार्य	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (एसआईआईआरटी0) उदयपुर	30-11-1956	30-11-2016
3	श्री मिटडूलाल बलाई, प्रधानाध्यापक	श्री अभयराज सुराणा रा बालिका मावि0 पादूकला नागौर	12-11-1956	30-11-2016
4	श्री राधेश्याम बोहरा, प्रधानाध्यापक	रामावि0 बारणी भीलवाडा	03-03-1957	31-03-2017
5	श्री श्रीप्रकाश तिवाडी, प्रधानाचार्य	राउमावि सैडवा चौहटन जिला बाडमेर	26-03-1957	31-03-2017
6	श्री निरजंन कुमार भार्गव, प्रधानाध्यापक	रामावि किशन नगर जैतारण पाली	10-01-1957	31-01-2017
7	श्री शराफत अली, प्रधानाचार्य	राउमावि0 रेलावन किशनगंज जिला बारां	02-03-1957	31-03-2017

उपरोक्त उल्लेखित कार्मिकों के सम्बन्ध में अंकित टिप्पणी के अतिरिक्त अन्य प्रधानाचार्यों व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-रामावि व समकक्ष के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- - - - - 2 -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

(बी.एल. स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-1-2/सेवनिवृत्ति/45002/2015-16 दिनांक : 03 जनवरी-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा)
- 02 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा/ नियन्त्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि संलग्न सूची में उल्लेखित शिक्षा अधिकारियों से **प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र** आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे।
- 03 सम्बन्धित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 04 सिस्टम एनॉलिस्ट (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालया हाजा।
- 05 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ सम्बन्धित कार्मिक
- 06 रक्षित / निजी पत्रावली।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर